संख्या: 62-दो(1)/XXXVI(3)/2006

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,

नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2006

विषय: जिला न्यायालय, नैनीताल परिसर में दो मेट हेतु कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3013/UHC/Admin.B/Const/2006/दिनांक 2.11.06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला न्यायालय, नैनीताल परिसर में दो मेट हेतु कक्ष के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु० 74,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 71,000/ (रुपये इकहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 71,000/ (रुपये इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो कि शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, उनका बाजार भाव से भी मद (?) की स्वीकृति नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय । स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान का कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण सक्षम अधिकारियों के द्वारा अवश्य कर लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्ट करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाय ।

(9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या 04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन 00 आयोजनेत्तर 105 सिविल और सत्र न्यायालय 03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश 00 25 लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग 5 के अशासकीय संख्या 736/XXVII(5)/2006 दिनांक 12.12.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या 62 सा(1)/XXXVI(1)/2006 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग 5, उत्तरांचल शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एस०एस०संगवान)
अनु सचिव ।

15120600

15120601 [illegible]